

पद अनुसार लक्ष्य, कार्य दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं आपके लाभ

1. राज्य परियोजना प्रबंधक - मासिक वेतन: ₹50,000 - ₹70,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- राज्य स्तर पर परियोजना की संपूर्ण योजना, संचालन एवं निगरानी सुनिश्चित करना।
- आपके राज्य के प्रति केंद्र / प्रति सत्र (3 माह) 100 की संख्या में प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करना।
- उक्त 100 प्रवेश प्रति केंद्र हेतु आपको नियुक्ति के पश्चात एक माह का ही समय दिया जायेगा।
- परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा कराना।
- क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधकों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करना।
- राज्य स्तर पर पशुपालन, पशु प्रजनन, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना।
- परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर उच्च स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अधिकार :

- राज्य स्तर पर परियोजना की गतिविधियों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- प्रत्येक राज्य परियोजना प्रबंधक के अधीन 4 क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक होंगे।
- क्षेत्रीय एवं जिला स्तर की टीम से कार्य संबंधी जानकारी एवं रिपोर्ट प्राप्त करना।
- परियोजना की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव एवं अनुशंसा देना।
- निर्धारित कार्यक्षेत्र में आवश्यक प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय निर्णय लेना।
- राज्य परियोजना प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक नियुक्त किये जा सकेंगे।

कर्तव्य :

- परियोजना के निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- अधीनस्थ अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखना।
- परियोजना की प्रगति एवं उपलब्धियों की नियमित समीक्षा करना।
- निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना।
- अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना।

आपके लाभ :

- लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 50,000/- से 70,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह वाहन भत्ता नहीं मिलेगा।

2. क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक- मासिक वेतन: ₹40,000 - ₹50,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- निर्धारित क्षेत्र में परियोजना की गतिविधियों का प्रभावी संचालन एवं निगरानी करना।
- आपके अधीनस्त जिलों के केन्द्रों पर प्रति केंद्र / प्रति सत्र (3 माह) 100 की संख्या में प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करना।
- उक्त 100 प्रवेश प्रति केंद्र हेतु आपको नियुक्ति के पश्चात एक माह का ही समय दिया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यों का समन्वय एवं समीक्षा करना।
- राज्य परियोजना प्रबंधक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को क्षेत्र स्तर पर लागू कराना।
- क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर राज्य परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करना।
- क्षेत्र में प्रशिक्षण, पशुपालन एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना।

अधिकार :

- संबंधित क्षेत्र की टीम को आवश्यक कार्य-दिशा एवं मार्गदर्शन देना।
- प्रत्येक क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक के अधीन 5 जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे।
- जिला स्तर के कार्यों की समीक्षा एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त करना।
- कार्य में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसा देना।
- क्षेत्रीय बैठकों एवं परियोजना गतिविधियों का समन्वय करना।
- क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे।

कर्तव्य :

- क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय रखना।
- परियोजना की रिपोर्ट समय पर राज्य स्तर पर भेजना।
- कार्यों में आने वाली समस्याओं की जानकारी उच्च अधिकारी को देना।
- निगम/ राज्य परियोजना प्रबंधक को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना।

आपके लाभ :

- लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 40,000/- से 50,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह वाहन भत्ता नहीं मिलेगा।

3. जिला कार्यक्रम अधिकारी - मासिक वेतन: ₹30,000 - ₹40,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- जिले में परियोजना की गतिविधियों का संचालन एवं निगरानी करना।
- आपके अधीनस्थ जिले में प्रति केन्द्र / प्रति सत्र (3 माह) 100 की संख्या में प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करना।
- उक्त 100 प्रवेश हेतु आपको नियुक्ति के पश्चात एक माह का ही समय दिया जायेगा।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत टीम के साथ समन्वय स्थापित करना।
- निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों का जिला स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- जिले में पशुपालन, पशु स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना।
- जिला स्तर की रिपोर्ट तैयार कर क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करना।

अधिकार :

- ब्लॉक स्तर की टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं कार्य संबंधी मार्गदर्शन देना।
- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी के अधीन 5 ब्लॉक पशुपालक संपर्क एवं प्रवेश अधिकारी होंगे।
- जिला स्तर पर परियोजना गतिविधियों की समीक्षा करना।
- प्रगति एवं कार्य निष्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना।
- आवश्यक सुधार के लिए सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करना।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ
ब्लॉक पशुपालक संपर्क एवं प्रवेश अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे

कर्तव्य :

- जिला स्तर पर परियोजना कार्यों को समय पर पूरा करना।
- ब्लॉक टीम के साथ नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखना।
- निर्धारित रिपोर्ट एवं अभिलेख समय पर तैयार करना।
- उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना।
- निगम/क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना।

आपके लाभ :

- लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 30,000/- से 40,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह वाहन भत्ता नहीं मिलेगा।

4. ब्लॉक पशुपालक संपर्क एवं प्रवेश अधिकारी - मासिक वेतन: ₹20,000 - ₹25,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- ब्लॉक स्तर पर पशुपालकों से संपर्क स्थापित करना एवं उन्हें परियोजना से जोड़ना।
- केंद्र पर निगम के चाहे अनुसार प्रति सत्र (3 माह) 50 की संख्या में प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करना।
- उक्त 50 प्रवेश हेतु आपको नियुक्ति के पश्चात एक माह का ही समय दिया जायेगा।
- पशुपालकों को परियोजना, प्रशिक्षण एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देना।
- पात्र पशुपालकों की पहचान एवं पंजीकरण में सहयोग करना।
- पशुपालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाना।
- ब्लॉक स्तर पर परियोजना की गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करना।

अधिकार :

- निर्धारित क्षेत्र में पशुपालकों से संपर्क एवं जानकारी एकत्र करने का अधिकार।
- पात्र लाभार्थियों/पशुपालकों को परियोजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- क्षेत्रीय गतिविधियों के संचालन में संबंधित अधिकारियों से समन्वय करना।

कर्तव्य :

- पशुपालकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना।
- सही जानकारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- प्राप्त जानकारी एवं गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड रखना।
- निगम / जिला कार्यक्रम अधिकारी को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना।

आपके लाभ :

- लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन ₹20,000 - ₹25,000 रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह वाहन भत्ता नहीं मिलेगा।

5. प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधक - मासिक वेतन: ₹18,000 - ₹20,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- प्रशिक्षण केंद्र का सुचारु एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना एवं समय-सारणी तैयार करना।
- प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, प्रशिक्षण व्यवस्था एवं आवश्यक संसाधनों की निगरानी करना।
- प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण केंद्र की टीम के साथ समन्वय करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति एवं परिणामों की रिपोर्ट तैयार करना।

अधिकार :

- प्रशिक्षण केंद्र की दैनिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन का अधिकार।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक समन्वय एवं व्यवस्था करने का अधिकार।
- प्रशिक्षण केंद्र के कर्मचारियों को कार्य संबंधी दिशा-निर्देश देना।

कर्तव्य :

- प्रशिक्षण केंद्र में अनुशासन एवं उचित व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण से संबंधित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज सुरक्षित रखना।
- उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण की प्रगति की जानकारी देना।

आपके लाभ :

- कार्य दायित्व के अनुसार कार्य करने पर प्रतिमाह भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा मासिक वेतन 18,000/- 20,000/- रु देय होगा।
- मासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर मासिक आय में आनुपातिक कटौती की जायेगी एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।

6. MIS एवं कार्यालय सहायक - मासिक वेतन: ₹18,000 - ₹20,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- परियोजना से संबंधित डेटा एवं रिकॉर्ड को व्यवस्थित एवं अद्यतन रखना।
- MIS में आवश्यक जानकारी का समय पर डाटा एंट्री एवं अपडेट करना।
- विभिन्न स्तरों से प्राप्त रिपोर्ट एवं जानकारी को संकलित करना।
- कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना।
- आवश्यक रिपोर्ट, दस्तावेज एवं पत्राचार तैयार करने में सहायता करना।

अधिकार :

- परियोजना से संबंधित आवश्यक डेटा एवं दस्तावेज प्राप्त कर उनका रिकॉर्ड तैयार करना।
- MIS एवं कार्यालय रिकॉर्ड को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपडेट करना।
- संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु समन्वय करना।

कर्तव्य :

- डेटा की शुद्धता एवं गोपनीयता बनाए रखना।
- निर्धारित समय पर MIS एवं रिपोर्ट अपडेट करना।
- कार्यालय रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का उचित रख-रखाव करना।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यालयीन कार्यों को समय पर पूरा करना।

आपके लाभ :

- कार्य दायित्व के अनुसार कार्य करने पर प्रतिमाह भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा मासिक वेतन 18,000/- 20,000/- रु. देय होगा।
- मासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर मासिक आय में आनुपातिक कटौती की जायेगी एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।

7. प्रशिक्षण केंद्र सहायक - मासिक वेतन: ₹12,000 - ₹15,000

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व :

- प्रशिक्षण केंद्र की दैनिक गतिविधियों में सहयोग करना।
- प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्था एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधक एवं प्रशिक्षकों को सहयोग देना।
- प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति एवं आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता करना।
- प्रशिक्षण केंद्र की साफ-सफाई एवं व्यवस्थित संचालन में सहयोग करना।

अधिकार :

- सौंपे गए कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करने का अधिकार।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आवश्यक जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करने का अधिकार।
- प्रशिक्षण केंद्र की दैनिक व्यवस्था से संबंधित कार्यों में सहयोग एवं समन्वय करना।

कर्तव्य :

- प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधक द्वारा दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करना।
- प्रशिक्षणार्थियों के साथ उचित व्यवहार एवं सहयोग बनाए रखना।
- प्रशिक्षण सामग्री एवं केंद्र की आवश्यक वस्तुओं का उचित रख-रखाव करना।
- प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करना।

आपके लाभ :

- कार्य दायित्व के अनुसार कार्य करने पर प्रतिमाह भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा मासिक वेतन ₹12,000/-₹15,000/-रु. देय होगा।
- मासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर मासिक आय में आनुपातिक कटौती की जायेगी एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी

विशेष :

1. किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार - प्रसार सामग्री एवं अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा। अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के किये गये व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी।
2. लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा।
3. अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रु. का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जायेगा।